न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
23 / 2022	11 / 07 / 2022	19/01/2026

01. रेखा आयु 44 वर्ष पुत्री श्री राधाबल्लभ पत्नि श्री हरिप्रकाश जाति कलाल निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) हाल निवास आरामपुरा तह. लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

01. राधाबल्लभ पुत्र चतुर्भुज जाति कलाल निवासी ग्राम रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
02. वंश पारेता अवयस्क पुत्र तुलसीराम जाति कलाल निवासी रोण जरिये संरक्षक पिता तुलसीराम पुत्र राधाबल्लभ जाति कलाल निवासी ग्राम रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
03. तुलसीराम पुत्र राधाबल्लभ जाति कलाल निवासी ग्राम रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
04. कौशल्या पुत्री श्री राधाबल्लभ पत्नि श्री मुरलीधर जाति कलाल निवासी रोण तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.) हाल निवास खण्डेला तह. किशनगंज जिला बाराँ (राज.)
05. हेमलता पुत्री श्री राधाबल्लभ पत्नि बहादुर जाति कलाल निवासी रोण हाल निवास इटावा जिला कोटा (राज.)
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थिया की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल कुमार बंसल एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर. टी. एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र से संबंधित ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 103 / 737 रकबा 0.66है., खसरा संख्या 636 / 739 रकबा 1.33है, खसरा संख्या 638 / 740 रकबा 1.02है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.01है. कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे प्रार्थना पत्र मे विवादित भूमि संबोधित किया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 3, 4, 5 अप्रार्थी क्रम 1 के पुत्र है एवं अप्रार्थी क्रम 2, अप्रार्थी क्रम 3 का पुत्र व अप्रार्थी क्रम 1 का पौत्र है। वर्तमान राजस्व अभिलेख मे विवादित भूमि अप्रार्थी क्रम 1 की खातेदारी में अंकित है जो कि पुर्वकाल में प्रार्थी के प्रपितामह एवम् अप्रार्थी क्रम 1 के पितामह गोपाल पुत्र गंगाबिशन जाति कलाल निवासी रोण के खाते दर्ज थी। गोपाल के देहावसान के उपरान्त विरासतन उत्तराधिकार के आधार पर अन्य उत्तराधि कारियों के साथ अप्रार्थी क्रम 1 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति होकर प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1, 3, 4, 5 की सहदायिक सम्पत्ति है। विवादित भूमि प्रार्थी के प्रपितामह श्री गोपाल जी के देहावसान के उपरान्त अप्रार्थी क्रम 1 के खाते मे दर्ज हुई है इस प्रकार विवादित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सहदायिक सम्पत्ति है। जिसमे प्रार्थी का अप्रार्थी क्रम 1, 3, 4, 5 के साथ समभाग से 1 / 5 हिस्से की भूमि मे जन्मतः [By Birth] हित निहित है। चूँकि प्रार्थी, अप्रार्थी क्रम 1 की सहदायिक होने से विवादित भूमि प्रार्थी की सहदायिक सम्पत्ति है, इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 के खाते दर्ज विवादित भूमि के अप्रार्थी क्रम 1 विधितः तन्हा खातेदार टीनेन्ट नही है बल्कि विवादित भूमि मे प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1, 3, 4, 5 का समभाग से 1 / 5 1 / 5 हिस्सा निहित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि मे के 1 / 5 हिस्सा भूमि के सहकृषक है। प्रार्थी विवादित भूमि मे अपने 1 / 5 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है। विधि ातः विवादित भूमि में अप्रार्थी

क्रम 1 के साथ साथ प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 3, 4, 5 के खाते समभाग से 1/5 1/5 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए। प्रार्थी, अप्रार्थी क्रम 1, 3, 4, 5 के साथ साथ विवादित भूमि पर समभाग से 1/5 हिस्से की भूमि के सहकृषक घोषित करवाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख मे अँकन करवाकर उसके निहित 1/5 हिस्सा अनुसार भूमि का विभाजन करवाने की भी अधि कारी है। राजस्व अभिलेख मे विवादित भूमि अप्रार्थी क्रम 1 के नाम सर्वथा अवैध, गलत व त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित होने का अवैध लाभ उठाकर अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा बिना किसी अधिकार के, गैर कानूनी व अनाधिकृत रूप से मनमाने तौर पर, प्रार्थी को सूचना कियें बिना, प्रार्थी की जानकारी, अनुमति व सहमति के बिना ही विवादित भूमि में केवल 1/5 हिस्सा भूमि का निहित हित (कुल 3.01है. का 1/5 हिस्सा अर्थात् 0.60है. भूमि) होते हुये भी ग्राम रोण की खसरा संख्या 103/737 रकबा 0.66है., खसरा संख्या 636/739 रकबा 1.33है, खसरा संख्या 638/740 रकबा 1.02है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.01 है. भूमि अप्रार्थी क्रम 2 को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 18.02.2022 दान कर दी। (जो कि उप पंजीयक पीपल्दा के यहाँ दिनांक 18.02.2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 178 मे पृष्ठ संख्या 190 क्रम संख्या 20223283100689 पर पंजीबद्ध है।) उक्त दान पूर्णतः अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। उक्त भूमि मे प्रार्थी के 1/5 हिस्से की हद तक अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अप्रार्थी क्रम 2, 3 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का दान पत्र प्रार्थी के हितो के विरूद्ध प्रभावहीन होकर सर्वथा अवैध एवम् प्रारम्मतः शून्य [Ab initio void] होने से उक्त पर आधारित नामान्तरकरण संख्या 735 दिनांक 13.04.2022 ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा भी प्रार्थी के हितो के विरूद्ध अनुसारतः प्रभावहीन एवम् प्रारम्भतः शून्य है। अप्रार्थीगण राजस्व अभिलेख के उक्त अवैध एवं त्रुटिपूर्ण अँकन के आधार पर विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द, रहन आदि प्रकार से करने को तत्पर है तथा विवादित भूमि की प्रकृति को परिवर्तित करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्यों को रोकने के लिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक आवश्यक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करवाना आवश्यक हुआ। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम द्रष्टया मामला एवम् सुविधा का सन्तुलन स्वयं सिद्ध है। क्योंकि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से प्रार्थी का विवादित भूमि मे सहदायिक हित निहित है। जिससे प्रार्थी को किसी भी प्रकार से वंचित नही किया जा सकता है। विवादित भूमि मे प्रार्थी अपने निहित हित की भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक काबिज काश्त होकर विवादित भूमि का उपयोग उपभोग कर रही है। यदि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित नहीं की गई तो वे विवादित भूमि मे प्रार्थी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग मे बाधा/व्यवधान उत्पन्न करनें मे सफल हो जाऐंगे तथा विवादित भूमि को अन्यत्र हस्तान्तिरित करने अथवा भारग्रस्त करने मे अथवा भूमि की प्रकृति ही परिवर्तित करने में सफल हो जाऐंगे जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति कारित होगी निसका द्रव्य मे मुल्याँकन संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवम् अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करने की कृपा करे कि अप्रार्थीगण स्वयं अथवा जरिऐ प्रतिनिधि, प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 103/737 रकबा 0.66है., खसरा संख्या 636/739 रकबा 1.33है, खसरा संख्या 638/740 रकबा 1.02है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.01है, विवादित भूमि मे प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। प्रार्थी को शांति से कृषि कार्य करने देवें। अप्रार्थीगण राजस्व अभिलेख मे हो रहे अंकन की आड मे विवादित भूमि को अन्यत्र संक्रामित, व्ययनित अथवा भार ग्रस्त नही करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मामले में प्राथमिक डिक्री की जा चुकी है तथा प्रार्थियां को खसरा संख्या 103/737 रकबा 0.66है., खसरा संख्या 636/739 रकबा 1.33है, खसरा संख्या 638/740 रकबा 1.02है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.01है0, में 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये है। प्रार्थियां का विवादित भूमि में हिस्से घोषित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थियां के पक्ष में है। मूल वाद बंटवारे का दावा है। यदि मूल वाद में विचारण के दौरान मूल्यवान व महत्वपूर्ण विवादित भूमि का अंतरण किसी प्रकार से हो जाता है तो इससे प्रार्थिया को अपरिमित क्षति कारित हो सकती है। नये केताओं को पक्षकार बनाने के प्रार्थना पत्र वर्तमान दावे में लगाये जाने के कारण वाद की जटिलता में वृद्धि होने से प्रार्थिया को असुविधाओं का सामना करना पडेगा तथा मूल वाद के निस्तारण में विलम्ब होने से न्याय प्रारित में भी विलम्ब कारित होगा। प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के कारण अप्रार्थी को हुई असुविधा की मात्रा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने के कारण प्रार्थी को हुई असुविधा की मात्रा से कम होने के कारण सुविधा संतुलन प्रार्थी की पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी ग्राम रोण पटवार हल्का शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे खसरा संख्या 103/737 रकबा 0.66है., खसरा संख्या 636/739 रकबा 1.33है, खसरा संख्या 638/740 रकबा 1.02है. कुल खसरा 3 कुल रकबा 3.01है, कृषि भूमि पर रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा दान, वसीयत, रहन इत्यादि के माध्यम से अंतरण न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधि से कराये। यह अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रभावी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा